Annual Fee Charged from the Students (NCTE Regulation 2014 Clouse 7(14)(I) (e)

Droan College of Education & Technology

Vill. & Post –Khanpur Purab, Dineshpur Road, Rudrapur, District- Udham Singh Nagar, (Uttarakhand)

Sr.	Courses	State	Management	NRI Quota
No.		Quota	Quota	
1.	Bachelor of	42000/-	55000/-	75000/-
	Education (B.Ed.)			

Ro 211. A. 1730 97-11-15

उत्तराखण्ड शासन उच्च शिक्षा (नवसृजित अनुभाग–3) संख्याः– /XXIV(N-3)–49(6)12T.C/2015 देहरादून : दिनांक २। जनव्यव्वर्2015

A.R.(AM

जिस्सार अधिनियम से आच्छादित राज्य के समस्त बी०एड० पाठयकम संचालित करने वाले संस्थानों की बी०एड० पाठ्यकम (द्वि–वर्षीय) हेतु प्रतिवर्ष की दर से निम्नवत् शुल्क निर्धारित / लागू किया जाता है:–

राजकीय कोटे की सीटो का	प्रबन्धकीय कोटे की सीटो	एन0आर0आई0 कोटे की सीटो
शुल्क	का शुल्क	का शुल्क
रू0 42000 / प्रति वर्ष	रू० 55000/-प्रति वर्ष	रू० 75000 / - प्रति वर्ष

2- उक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा। यदि किसी भी संस्थान/महाविद्यालय द्वारा अन्य शुल्क लिया जायेगा, तो उसे कैपिटेशन फीस माना जायेगा और संस्थान के विरूद्ध उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2010 की संगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लिये जाने पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं होगा।

3- संस्थान / महाविद्यालय द्वारा फीस निर्धारण के क्रम में जारी शासनादेश की प्रति प्रत्येक छात्र-छात्राओं को हस्तगत कराई जायेगी।

4- एन०आर०आई० से तात्पर्य वही होगा जो प्रवासीय भारतीय विदेष मंत्रालय द्वारा दी गई परिभाषा से है। एन०आर०आई० उपलब्ध न होने पर एन०आर०आई० की सीटों पर इच्छुक अन्य छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा व उनसे एन०आर०आई का ही युल्क वसूल किया जायेगा। उक्त शुल्क इस आदेश के जारी होने की तिथि से आगामी तीन वर्षो की अवधि के लिये लागू/निर्धारित है।

6- समिति द्वारा उक्त शुल्क का निर्धारण अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले प्रदेश में स्थापित स्ववित्त पोषित बी०एड० पाठयकम संचालित करने वाले संस्थानों (अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर) के शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को आंमत्रित किये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत समाचार पत्रो में प्रकाशित ''विज्ञप्ति'' एवं तत्कम में निर्धारित तिथि तक समिति को प्राप्त संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर किया गया है। संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों में उल्लिखित तथ्यों की प्रमाणिकता की पुष्टि शुल्क निर्धारण के लिए समिति द्वारा भविष्य में की जा सकती है।

> (एसा0रामास्वामी) प्रमुख सचिव

पुष्डांकन संख्या :- 1/5/ /XXIV(N-3)49(6)12T.C / 2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

- 1. सचिव, कुलाधिपति, उत्तराखण्ड को महामहिम कुलाधिपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
- 2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3. आयुक्त, गढवाल मण्डल / कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर, राजस्थान।
- 5. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
- 6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
 समस्त बी०एड० महाविद्यालय / संस्थान द्वारा–संबंधित विश्वविद्यालय।
- 10. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11. गांर्ड फाईल।

आज्ञा से (लक्ष्मण सिंह) संयुक्त सचिव